

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 140 /14-1, दिनांक: अलीगढ़, जुलाई: 09, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-एटा के अन्तर्गत एटा रेलवे स्टेशन से 2 x 660 वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.603 किमी०) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 3.8386 आरक्षित वन भूमि) कुल 4.2069 हे० भूमि का गैर वानिकी प्रयोग में 05 वृक्ष व 228 पौधे/झाड़ी के पातन की सक्षम स्तर से अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०-FP/UP/TRANS/47261/2020)

सन्दर्भ:

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक- 2599 /11.सी FPUPITRANS47601/2018 लखनऊ, दि०-09-04-2021 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा का पत्रांक-49/5-1 दिनांक 08.07.2021

महोदय,

कृपया जनपद-एटा के अन्तर्गत एटा रेलवे स्टेशन से 2 x 660 वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.603 किमी०) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 3.8386 आरक्षित वन भूमि) कुल 4.2069 हे० भूमि का गैर वानिकी प्रयोग में 05 वृक्ष व 228 पौधे/झाड़ी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आपके सन्दर्भित पत्र से उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा के पत्रांक-49/5-1 दिनांक 08.07.2021 से संस्तुति सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। बिन्दुवार आख्या संस्तुति सहित तीन प्रतियों में निम्नवत संलग्न कर प्रेषित है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही हो तो प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता व लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता व लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं है। अतः प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर आनलाइन भाग-2 में

	आनलाइन भाग-2 में व्यास वैज्ञानिक नाम सहित विवरण फीड करें।	व्यासावार वैज्ञानिक नाम सहित विवरण फीड कर दिया है।
3.	प्रस्ताव को साथ इको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना त्रुटिपूर्ण संलग्न की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० गणना संलग्न करें।	एन०पी०वी० की गणना संशोधित कर संलग्न की गयी है।
4.	मलवा उत्सर्जन का विवरण इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है, किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया है।
5.	ऑनलाईन भाग-2 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण अलग-अलग फीड नहीं किया गया है।	ऑनलाईन भाग-2 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण अलग-अलग फीड कर दिया गया है।
6.	ऑनलाईन भाग-2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है। अतः ऑनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड कर धनराशि भी फीड करें।	ऑनलाईन भाग-2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन व धनराशि अपलोड किया गया है।

संलग्नक . उपरोक्तानुसार।

भिवदीया,

26/11/2021

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1408/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, जलपद निर्माण-द्वितीय, 2 x 660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मलावन, एटा (उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

26/11/2021

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।